राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड. जयपुर,
(फोन एवं फैक्स– 0141–2719136)

क्रमांक प.6( )/रा.सू.आ./संस्था./2023/1802

दिनांक– 8-5-2023

विज्ञप्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 की उप धारा (7) के अन्तर्गत नवगठित राजस्थान राज्य सूचना आयोग की जोधपुर बैंच में सेवानिवृत राज्य कर्मचारियों को कार्मिक विभाग राज. जयपुर के परिपत्र एफ.17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 28.03.2023 के अन्तर्गत संविदा पर पुर्ननियुक्त किया जाना है। कार्मिक विभाग, राज. के परिपत्र 28.03.2023 के परिशिष्ट–अ पर अंकितानुसार समेकित पारिश्रमिक पर सूचना आयोग, जोधपुर बैंच, जोधपुर में निम्नांकित पदों पर कार्य करने के इच्छुक **स्थानीय सेवानिवृत राज्य कर्मचारी** (जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हो) के आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2023 तक आमन्त्रित किये जाते है।

1. निजी सहायक
2. रीडर
3. वरिष्ठ सहायक
4. कनिष्ठ सहायक
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

निजी सचिव/लिपिकीय वर्ग के लिये सेवानिवृत कर्मचारी की कम्प्यूटर पर हिन्दी में टाईपिंग में जानकारी वांछनीय है। शेष शर्तें उक्त परिपत्र के अनुरूप रहेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट ric.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र **सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर** को संबोधित होगा।

(प्रियंका गोस्वामी)
सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग,
जयपुर

राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों के संबंध में संविदा पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1. सेवानिवृत कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथी :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृति से पूर्व धारित पदनाम :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृति के समय मूल वेतन : सेवानिवृति आदेश व एलपीसी की प्रति संलग्न करें।
9. मूल पेंशन राशि (पेंशन पेमेन्ट आर्डर की प्रति संलग्न करें)
10. सेवानिवृति के समय धारित पद का वेतनमान व पे लेवल :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :
12. आवेदित पद का नाम :
13. सेवानिवृत कर्मचारी के निवास का पता मय मोबाईल नम्बर :

सेवानिवृत कर्मचारी का नाम व हस्ताक्षर

सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र एफ.17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 28.03.2023 में दिये गये सहमत निर्बन्धों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृति के पश्चात राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बन्धों और शर्त्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

सेवानिवृत कर्मचारी का नाम व हस्ताक्षर

जयपुर
दिनांक :